‘डायरेक्ट पोर्ट एंट्री’ सुवधिा

प्रलिम्सि के लयि

‘डायरेक्ट पोर्ट एंट्री’ सुवधिा

मेन्स के लयि

‘डायरेक्ट पोर्ट एंट्री’ सुवधिा तथा इसके लाभ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवयिा ने तमलिनाडु के तूतीकोरनि में वी. ओ. चदिंबरनार (VO Chidambaranar- VOC) बंदरगाह पर रसद लागत को कम करने में मदद के लयि एक **‘डायरेक्ट पोर्ट एंट्री’ सुवधिा** (Direct Port Entry Facility-DPE) का उद्घाटन कयिा।

प्रमुख बदुि:

- इस सुवधिा को 30 वर्ष तक संचालति करने के लयि केंद्रीय भंडारण नगिम के साथ समझौता कयिा गया है।
- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व कारखानों से सीलबंद कंटेनरों को पहले तूतीकोरनि में संचालति होने वाले कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (CFS)/इनलैंड कंटेनर डपिो (ICD) में से एक में ले जाया जाता था और यह सुवधिा एक कार्यदविस में सुबह 10 से रात 8 बजे तक ही उपलब्ध थी। इसकी वजह से कंटेनरों को कंटेनर टर्मनिलों के अंदर ले जाने में काफी देरी होती थी।

‘डायरेक्ट पोर्ट एंट्री’ के तहत प्राप्त होने वाली सुवधिाएँ:

- अत्याधुनकि डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुवधिा के माध्यम से नरि्यातक अपने कंटेनरों को CFS के दखल के बनिा कारखानों से सीधे बंदरगाहों के कंटेनर टर्मनिल पर चौबीस घंटे भेजने की सुवधिा पा सकेंगे।
- यह सुवधिा ट्रक पार्कगि टर्मनिल के अंदर 18,357 वर्गमीटर के क्षेत्र में बनाई गई है, जसि कारखानों से सील होकर आए नरि्यातति वस्तुओं से भरे कंटेनरों को सीमा शुल्क नकिासी सुवधिा प्रदान करने हेतु 'सागरमाला' योजना के तहत वकिसति कयिा गया है।
- यह प्रतमिाह 18,000 टीईयू को वहन करने की क्षमता रखती है।
- डीपीई सुवधिा के तहत केंद्रीय भंडारण नगिम के माध्यम से भारतीय सीमा शुल्क वभिाग एक ही छत के नीचे नरि्यातकों को एलईओ (Let Export Order- LEO) भी उपलब्ध कराएगा।
- केंद्रीय भंडारण नगिम और सीमा शुल्क अधकिारयिों की एक टीम वीओसी पोर्ट के सहयोग से टयिर-2 और टयिर-3 (एईओ) प्रमाणति आयात-नरि्यात ग्राहकों को सेवा प्रदान करेगी।
- सीमा शुल्क वभिाग ने भी बंदरगाह में डीपीई सुवधिा के संचालन को मंज़ूरी दी है।

लाभ:

- यह लॉजस्टिकि लागत को कम करने और बंदरगाहों से नरि्यात खेप को भेजने की प्रक्रयिा को गतदिेने की दशिा में एक उल्लेखनीय कदम है।
- डीपीई, नरि्यातकों के लयि कारोबारी सुगमता को बढ़ाने में मदद करेगा, इससे नरि्यातकों के काम में दक्षता आएगी, सामान भेजने पर खर्च कम होगा, साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधकि प्रतस्पिर्द्धी हो सकेंगे।
- बंदरगाहों पर आईटी सक्षम बुनयिादी ढाँचा नशि्चति रूप से हमारे बंदरगाहों को पोत परविहन मंत्रालय के ‘मेरीटाइम वज़िन 2030’ के अनुरूप वशि्व स्तर के बंदरगाहों में परविर्तति कर देगा।
- इस सुवधिा के माध्यम से ‘ईज़ ऑफ डूइंग बज़िनेस’ में भारत की स्थतिबिेहतर होगी तथा भारत व्यवसायी संस्कृतकिो आगे बढ़ाने में अपनी सशक्त भूमकिा दर्ज कराएगा।
- इस सुवधिा के माध्यम से भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था में वस्तिार होगा तथा इसके माध्यम से यह अपने क्षेत्रीय हतिों को भी साध सकेगा।

‘डायरेक्ट पोर्ट एंट्री’ सुविधा:

(Direct Port Entry Facility)

डीपीई एक ऐसी योजना है, जो निर्यात के संबंध में समय और लागत को कम कम करती है, जिसके तहत निर्यात कंटेनरों को ‘लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर’ (LEO) देने से पहले ही पोर्ट एक्सपोर्ट में सीधे प्रवेश की अनुमति दी जाती है। यह भारत से बाहर वस्तुओं के निर्यात के लिये आवश्यक अनुपालन सूची का अंतिम चरण है।

स्रोत- द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/direct-port-entry-facility